CNR No-UPBJ01-008630-2017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं05, बिजनौर।
सत्रवाद संः0ः— 594 / 2017
सरकार बनाम रवि उर्फ रविन्द्र

आदेश

18—04—2018

वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त रवि उर्फ रविन्द्र कारागार से उपस्थित। पत्रावली आज अभियुक्त के विरूद्ध चार्ज विरचित होने हेतु नियत है।

आरोप के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी में अंकित किये गये साक्षीगण के बयानात एवं एकत्रित किये गये सबूतो के आधार पर अभियुक्त रवि उर्फ रविन्द्र के विरूद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त रवि उर्फ रविन्द्र के विरूद्ध उक्त धारा में आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 24—04—2018 को पेश हो।

दिनांक 18—04—2018

(डा0 पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं02, बिजनौर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं05, बिजनौर।
सत्र वाद सं0ः– 594 / 2017
सरकार बनाम रवि उर्फ रविन्द्र

धारा 25 आर्म्स एक्ट
थाना नूरपुर, जिला बिजनौर।

–ःआरोपः–

मै, डा0 पल्लवी अग्रवाल, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं05, बिजनौर आप रवि उर्फ रविन्द्र पर निम्नलिखित आरोप लगाती हूँः–

1– यह कि दिनांक 13–07–2017 को समय 13.00 बजे दिन बहद दौलतपुर नहर, थाना नूरपुर जिला बिजनौर थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में आप पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये और आपकी जामा तलाशी लेने पर आपके कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किये गये, जिनके रखने का आपके पास कोई लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपने आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

मैं एतद् द्वारा आपको निर्देश देती हूॅ कि उक्त आरोप पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांकः–18–04–2018

(डा0 पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं05, बिजनौर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।
दिनांकः–18–04–2018

(डा0 पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं05, बिजनौर।